भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
23.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 481 का उत्तर

उत्तर प्रदेश के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना

481. सुश्री इकरा चौधरी:

श्री पुष्पेंद्र सरोज:

श्री राकेश राठौर:

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बागपत, सीतापुर और जौनपुर लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में एबीएस योजना के अंतर्गत स्टेशन पुनर्विकास कार्यों के लिए वर्ष-वार, जिला-वार और स्टेशन-वार कितनी राशि आवंटित, स्वीकृत, वितरित और व्यय की गई है;

(ग) उन चयनित स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां मास्टर प्लान स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) उन चयनित स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां डीपीआर स्वीकृत किए गए हैं तथा कार्य की वित्तीय और भौतिक प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पानीपत-मेरठ नई रेलवे लाइन की डीपीआर की स्थिति क्या है और उसे किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था;

(च) क्या उक्त परियोजना को रेल मंत्रालय या गति शक्ति इकाई जैसे किसी संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या रेलवे लाइन के शुरू होने और पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं;

(ज) उक्त लाइन के लिए अब तक अनुमानित परियोजना लागत और बजटीय प्रावधान क्या हैं; और

(झ) उक्त योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (झ) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर स्टेशनों के विकास/उन्नयन हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अब तक अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इनमें से 20 स्टेशनों पर चरण-I का कार्य पूरा हो चुका है, 130 स्टेशनों पर चरण-I/चरण-II का कार्य शुरू हो चुका है और 9 स्टेशन मास्टर प्लानिंग/निविदा चरण में हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु पहचाने गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग जंक्शन, अकबरपुर जंक्शन, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जंक्शन, आंवला, अयोध्या धाम जंक्शन, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदायूँ, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराइच, बालामऊ जंक्शन, बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जंक्शन, बरेली, बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम कर्वी, चोपन, चुनार जंक्शन, डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदारनगर, इटावा जंक्शन, फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फ़तेहपुर, फ़तेहपुर सीकरी, फ़िरोज़ाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, गौरीगंज, घाटमपुर, ग़ाज़ियाबाद, ग़ाज़ीपुर सिटी, गोला गोकरनाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड,

		हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन, काशी, खलीलाबाद, खोरसनरोड, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर जंक्शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) एनआर, लखनऊ सिटी, लखनऊ जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे), मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन, मगहर, महाराजा बिजली पासी, महोबा जंक्शन, मैलानी जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, मल्हौर, मानक नगर, मानिकपुर जंक्शन, मरियाहू, मथुरा जंक्शन, मऊ जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जंक्शन, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जंक्शन, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जंक्शन, फूलपुर, पीलीभीत जंक्शन, पोखरायां, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, राजा की मंडी, रामघाट हाल्ट, रामपुर जंक्शन, रेनुकूट,

		सहारनपुर जंक्शन, सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जंक्शन, शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जंक्शन, शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जंक्शन, सोनभद्र, श्रीकृष्ण नगर, सुल्तानपुर जंक्शन, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जंक्शन, उझानी, ऊंचाहार, उन्नाव जंक्शन, उतरेटिया जंक्शन, वाराणसी कैंट, वाराणसी शहर, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई, व्यासनगर, जफराबाद

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मोदीनगर स्टेशन, बादशाहपुर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, श्रीकृष्ण नगर, जौनपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जफराबाद स्टेशन और सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जंक्शन स्टेशन को चिन्हित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में 20 स्टेशनों (अयोध्या धाम, बलरामपुर, बरेली सिटी, बिजनोर, फतेहाबाद, गोला गोकर्णनाथ गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह, आगरा जं., इज्जतनगर, मैलानी, पुखरायां, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जं., सिद्धार्थ नगर, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, उझानी) के चरण-1 का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य

स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से शुरू हो गया है और उपरोक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

- मोदी नगर स्टेशन पर, स्टेशन भवन की ऊँचाई में सुधार, प्रतीक्षालय और शौचालयों में सुधार, 12 मीटर चौड़ी ऊपरी पैदल पुल, नए प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और भवन, प्लेटफ़ॉर्म की सतह, संकेतक, परिसंचरण क्षेत्र और पार्किंग में सुधार जैसे छोटे-मोटे कार्य शुरू किए गए हैं।
- सीतापुर जंक्शन स्टेशन पर, पुराने स्टेशन भवन के अग्रभाग, प्लेटफ़ॉर्म के फर्श संबंधी कार्य, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर, परिसंचरण क्षेत्र की चारदीवारी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और नए स्टेशन भवन की नींव, पे एंड यूज़ शौचालय का नवीनीकरण, परिसंचरण क्षेत्र सड़क, पार्किंग आदि का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
- जौनपुर जंक्शन स्टेशन पर, नए स्टेशन भवन, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर और शौचालय ब्लॉक का संरचनात्मक कार्य शुरू किया गया है।
- जौनपुर सिटी स्टेशन पर, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर का कार्य शुरू किया गया है।
- लखनऊ (चारबाग जंक्शन) स्टेशन पर, द्‍वितीय प्रवेश द्‍वार स्टेशन भवन, यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) रनिंग हॉस्टल, स्टोर डिपो का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और अन्य परिष्करण कार्य, कॉनकोर्स, ऊपरी पैदल पुल, द्‍वितीय प्रवेश द्‍वार पर परिसंचरण क्षेत्र, मुख्य प्रवेश द्‍वार के बाहरी विकास और प्लेटफार्म संख्या 10/11 सहित चिनाई का कार्य शुरू किया गया है।
- प्रयागराज स्टेशन पर, द्‍वितीय प्रवेश द्‍वार की ओर, रेल मेल सेवा एवं आगमन, पार्सल एवं आगमन भवन और द्‍वितीय प्रवेश द्‍वार पर बेसमेंट प्लाजा, विद्‍युत सबस्टेशन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और इन संरचनाओं का परिष्करण कार्य शुरू हो चुका है। ऊपरी पैदल पुल संख्या 2 का विस्तार कार्य पूरा हो चुका है। रूफ प्लाजा और स्थानांतरित संरचनाओं का कार्य शुरू किया गया है।

- गाजियाबाद स्टेशन पर, मुख्य प्रवेश द्वार और द्वितीय प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, ऊपरी पैदल पुल की नींव का कार्य, रूफ प्लाजा, मुख्य प्रवेश द्वार और द्वितीय प्रवेश द्वार पर विद्युत सबस्टेशन, मजिस्ट्रेट भवन, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

इसके अतिरिक्त भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण निरन्तर और सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को आवश्यकतानुसार किया जाता हैं, जो परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन है। कार्यों की स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाती है।

मास्टर योजना एक पुनरावर्ती प्रक्रिया है जिसमें इष्टतमीकरण की आवश्यकता होती है और इस स्तर पर ऐसे इष्टतमीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिसंचरण क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्कल वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी

सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडॉल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाते हैं। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार। उत्तर प्रदेश राज्य पांच जोनों अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों के लिए, पिछले पांच वित्तीय वर्षों में किए गए आवंटन और व्यय इस प्रकार हैं: 2021-22 में, 707 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 632 करोड़ रुपए खर्च किए गए; 2022-23 में, 1,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 866 करोड़ रुपए खर्च किए गए; 2023-24 में, 3,888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 2,915 करोड़ रुपए खर्च किए गए; 2024-25 में, 4,188 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 4,143 करोड़ रुपए खर्च किए गए; और 2025-26 में, 4,358 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें अब तक (जून, 2025 तक) 877 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए फायर क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन क्लीयरेंस इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/केन्द्र शासित प्रदेश-वार/जिला-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/जिलों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

मेरठ-पानीपत नई रेल लाइन (104 किलोमीटर) के सर्वेक्षण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु मंज़ूरी दे दी गई है। बहरहाल, पानीपत और मेरठ दिल्ली-गाजियाबाद के रास्ते मौजूदा रेल नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद, परियोजना को मंज़ूरी देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और अपेक्षित अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के समीक्षा की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं को स्वीकृति देना एक सतत् एवं गतिशीघ्र प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

दिनांक 01.04.2025 तक, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 62,360 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 3,808 किलोमीटर लंबाई की 49 रेल परियोजनाओं (10 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 37 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 1,323 किलोमीटर लंबाई कमीशन कर दी गई है और मार्च 2025 तक 30,611 रुपए करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

कार्य की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	10	1227	340	10517
आमान परिवर्तन	2	67	0	281
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	37	2513	983	19813
कुल	49	3808	1323	30611

उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रु./प्रतिवर्ष
2025-26	19,858 करोड़ रु.(लगभग 18 गुना)

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, लागत साझाकरण परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी का जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार, रेलों में अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण और जांच करना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसे वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों यथा राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से निभाती हैं। रेलवे सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा मुहैया कराने और उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा जीआरपी के साथ समन्वय करके निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।
- तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
- यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।
- चोरी, छीना-झपटी, ज़हरखुरानी आदि के तहत सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।
- रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।
- रेलवे सुरक्षा बल ने भारतीय रेल के माध्यम से की जाने वाली मानव तस्करी को रोकने के लिए चौकी (थाना) स्तर पर 750 से अधिक मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ (एएचटीयू) स्थापित की हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग में, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेल के विभिन्न स्टेशनों पर बाल सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन बाल सहायता केंद्रों का

संचालन जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) द्‌वारा किया जा रहा है।

स्वच्छता सतत प्रक्रिया है और स्टेशन परिसर को उचित रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। स्टेशनों पर स्वच्छता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं (अमृत भारत योजना के अंतर्गत आने वाले उपायों सहित), जिनमें शामिल हैं:

- प्रमुख स्टेशनों पर एकीकृत हाउसकीपिंग ठेके।
- जैव-निम्नीकरणीय और गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग करने के लिए कई स्थानों पर मशीनीकृत साफ-सफाई और दो डिब्बायुक्त के कूड़ेदानों का प्रावधान।
- प्रमुख स्टेशनों पर कूड़ा उठाने और/या अपशिष्ट निपटान के ठेके उपलब्ध हैं।
- सभी यात्री डिब्बों में जैव-शौचालय लगाकर रेल पटरियों पर मल पदार्थ गिरने से रोका जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता सुनिश्चित होगी।
- प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों की स्थापना।

******